सं. 11034/11/2025-राजभाषा(नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

*****

चौथा तल, एनडीसीसी-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 17 .08.2026

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: राजभाषा विभाग के वर्तमान अधिदेश (मैंडेट) में नया कार्य जोड़ने के संबंध में।

राजभाषा संबंधी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने और संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में 26 जून, 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। उसी समय से यह विभाग संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

2. उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत राजभाषा विभाग के वर्तमान अधिदेश (मैंडेट) में एतद्द्वारा निम्नलिखित नया कार्य जोड़ा जाता है :

'स्वायत्तशासी एवं स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं सहित राज्य सरकारों के कार्मिकों के लिए मांग के आधार पर हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।'

(डॉ. निधि पाण्डेय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23438130

प्रति:-

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को राजभाषा विभाग के वर्तमान अधिदेश के अनुसार आवश्यक अपेक्षित कार्रवाई के लिए। [दिनांक 14.07.2026 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/51/2024-राभा(प्रशि) एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के दिनांक 08.07.2026 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12031/02/2023-केहिप्रसं-1312 के आलोक में]
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली

5. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
7. नीति आयोग, नई दिल्ली
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
9. लेखा निदेशक (केंद्रीय राजस्व), नई दिल्ली
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
12. संसद पुस्तकालय (15 प्रतियाँ)
13. निदेशक, जन-संपर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग
15. सचिव, राजभाषा विभाग) के प्रधान स्टाफ अधिकारी
16. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी), राजभाषा विभाग:- राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. निधि पाण्डेय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार